न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ ।
पीठासीन अधिकारी – गोपाल परिहार आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 55/2014
वादीनी :–

1 दुर्गादेवी पत्नि श्री प्रेमप्रकाश
जाति ब्राहमण निवासी रायमलवाडा
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

:– ब ना म –:

प्रतिवादीगण :–

1 तेजाराम पुत्र श्री बलदेवराम फौत जिनके कायम मुकाम
1–(1) घेवरराम पुत्र श्री तेजाराम
1–(2) तिलोकचन्द पुत्र श्री तेजाराम
1–(3) कन्हेयालाल पुत्र श्री तेजाराम
1–(4) श्रीमति दुर्गादेवी पत्नि श्री बंशीलाल
जाति ब्राहमण निवासी पंण्डित जी की ढाणी तहसील औसिया
1–(5) श्रीमति गीता पुत्री श्री तेजाराम पत्नि श्री हनुमानराम
जाति ब्राहमण निवासी मेलाणा तहसील बावडी
1–(6) श्रीमति हवादेवी पुत्री श्री तेजाराम पत्नि श्री चुन्नीलाल
जाति ब्राहमण निवासी नेंवरा रोड तहसील औसिया
1–(7) श्रीमति समुदेवी पुत्री श्री तेजाराम पत्नि श्री जगदीश
जाति ब्राहमण निवासी पंण्डित जी की ढाणी
1–(8) श्रीमति पप्पुदेवी पुत्री श्री तेजाराम पत्नि श्री श्यामलाल
जाति ब्राहमण निवासी केलावा खुर्द तहसील बावडी
2 तहसीलदार साहब, औसिया।

उपस्थिति –

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता वादीनी की ओर से ।
2 प्रतिवादीगण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यावाही।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188, आर.टी.एक्ट. 1955

– निर्णय – दिंनाक – 28/3/18

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने ग्राम मौजा रायमलवाडा के खसरा नम्बर 620 रकबा 31 बीघा 3 बीस्वा भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है जो वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसमे वादीनी का 1/2 हिस्सा है । प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार राजश्री पत्नि श्री भागीरथराम व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर अन्दाजीया तौर से विभाजन कर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज थे । वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार राजश्री का वादग्रस्त भूमि मे पूर्वी तरफ का कब्जा काश्त था तथा पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से व

Scanned by CamScanner

बन्ट के अनुसार थी । वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार राजीश्री के 1/2 हिस्से की भूमि वादीनी ने जरीये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की । जहां पर पूर्व खातेदार राजश्री का कब्जा था उसी स्थान पर वादीनी ने मौके पर कब्जा प्राप्त किया । वादीनी का वक्त खरीद से आज दिन तक उसी स्थान पर शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है । वादीनी अपने हक हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाने के लिए कठिनाई महसुस करती है इसलिए वादीनी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे मौके पर कब्जा काश्त व बन्ट के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा यही कहते रहे कि जब भी मौका मिलेगा तब वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवा देगे । दिंनाक 2.5.2014 को वादीनी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड मे विभाजन करवाने के लिए कहा तब प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये तथा वादग्रस्त भूमि से वादीनी को बेदखल करने की धमकी दी । इसलिए वादीनी वादग्रस्त भूमि मे अपना 1/2 हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश किया है । वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार राजश्री व प्रतिवादीगण संख्या 1 का अन्दाजीया तौर से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया हुआ था । वादीनी का वक्त खरीद से आज दिन तक शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीनी के पक्ष मे बनता है यदि प्रतिवादीगण वादीनी को बेदखल कर दिया तो वादीनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयो पैसे मे नही की जा सकेगी । सुविधा का सन्तुलन भी वादीनी के पक्ष मे बनता है ।

वादीनी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्रीये समन तलब किया गया । प्रतिवादीगण के समन अदम तामील प्राप्त नही हुए तब दिंनाक 10.8.2016 को पुनः समन जरिये रजिस्टर्ड ए डी भरे गये । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई वकालातना पेश नही किया और न ही स्वय् उपस्थित हुए । प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित नही हुए और न ही कोई वकालातनामा पेश किया और न ही वाद का कोई जबाब प्रस्तुत हुआ तब एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । वादीनी की तरफ से पी. डब्ल्यू –1 दुर्गादेवी, का शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–1 के रूप से प्रदर्शित करवाए गई । हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा रेकर्ड पर आई हुई मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य का विवेचन किया , प्रदर्श –1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे वादीनी 1/2 हिस्सा है ।

आदेश

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायमलवाडा के खसरा नम्बर 620 कुल रकबा 31 बीघा 03 बीस्वा, भूमि मे वादीनी के 1/2 हिस्से की भूमि रकबा 15 बीघा 16 बीस्वा 10 बीस्वान्सी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस से

Scanned by CamScanner

विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादीनी के 1/2 हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे , तहसीलदार औसिया को तहरीर जारी की जाकर लिखा जावे कि राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना की जाकर शीघ्र बन्टवारा प्रस्ताव पेश करे पत्रावली वास्ते इन्तजार बन्टवारा प्रस्ताव मे रखी जावे ।

सहायक कलक्टर, औसिया

सहायक कलेक्टर, ओसिया

निर्णय आज दिंनाक 28/5/18 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर, औसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास – रतनलाल रैगर आर.ए.एस.

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीः–
दुर्गा देवी पत्नि प्रेम प्रकाश जाति – ब्राह्मण नि. बायाभवड़ा		तेजाराम वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 53/88 आर.टी.एक्ट.

वाद संख्याः– 55/14

अन्तिम डिगरी इस आशय की जारी की जाती है कि ख.नं. 620 रकबा 31-03 बीघा भूमि में वादीनी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव अंतिम डिगरी का भाग समझा जावे।

निज —— मुबलिग —— बाबत् ——

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर —— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक —— को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/01/2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबात इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मतफरकात		
थमजान			थमजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज किया जावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner